

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 425/2020 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा बनाम

1. रामकिशन पिता गोरू मीणा निवासी भुवांर तहसील जहाजपुर

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) बाबत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित -

1. राजकीय अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से



निर्णय

दिनांक 20.07.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम भुंवार की आ.न. 532/10 रकबा 2.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 27.10.2020 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी की मृत्यु होना अंकित किया है। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा कायम मुकाम रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 27.10.

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

2020 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में 02 वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार जहाजपुर ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर ने मृतक के विरुद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध कृत्य किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर ने मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है। तहसीलदार जहाजपुर मृतक के वारिसान की जांच कर पूर्ण दस्तावेज सहित प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Luks
(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर
मीरठ